

ख हुक्म


हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण संख्या :- 03/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम मण्डावा की भूमि जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 353 में सांवरा पुत्र गोदू जाति माली से भूमि कय करने के कारण उसके स्थान पर सांवलराम पुत्र जोधाराम के नाम हिस्सा 1/6 दर्ज करने हेतु आवेदन किया है जबकि राजस्व अभिलेख में सांवरा पुत्र जोधा का हिस्सा 1/4 दर्ज है। ग्राम मण्डावा की भूमि खसरा नम्बर 387, 388, 637 व 638 कुल किता 4 रकबा 47 बीघा में से नामान्तरकरण संख्या 635 दिनांक 14.11.1970 के द्वारा भूमि विक्रय से सांवरा पुत्र गोदा ने अपना हिस्सा 1/6 खसरा नम्बर 388/4 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में हिस्सा 1/6 विक्रय किया है। शेष भूमि बदस्तुर जमाबंदी रही है। आवेदक ने वर्तमान जमाबंदी में अंकित भूमि 12.15 हैक्टर में सांवरा पुत्र गोदू का हिस्सा 1/6 हिस्से के स्थान पर सांवरमल पुत्र जोधाराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है जबकि आवेदक ने भूमि खसरा नम्बर 384/4 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा में ही हिस्सा 1/6 कय किया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में विरोधाभाष है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।


उप जज अधिकारी
मुम्बई (राज.)